12.3.2022

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। दोनों पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षकारों ने समझौता/राजीनामा पेश किया बाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया। निर्णय स्वरे इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]

पवन गौड़

राम नारायण [illegible]

[illegible]

लोकेश पोटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 3/2022 तारीख दायरा 05.01.2022

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल जाति खाती निवासी किशनपुरा तह0 सांगोद।
2. पवन कुमार पुत्र बिरधीलाल जाति खाती निवासी किशनपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. पुरुषोतम पुत्र बिरधीलाल जाति खाती।
2. रामस्वरूप पुत्र बिरधीलाल जाति खाती।
3. बिरधीलाल पुत्र रामनाथ जाति खाती निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ... द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसके प्रतिवादी नं0

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

1 व 2 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार कृषक है व प्रतिवादी नं0 3 के खाते की आराजी माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 139 के खसरा नं0 455 की 0.06 है0, खसरा नं0 871 की 0.08 है0, खसरा नं0 873 की 1.01 है0, खसरा नं0 916 की 0.24 है0 कुल 4 किता की कुल 1.39 हैक्टर आराजी स्थित है, जो सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी नं0 3 बिरधीलाल के खाते दर्ज है। माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर आराजी को प्रतिवादी नं0 3 बिरधीलाल यादि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता द्वारा अन्य पुश्तैनी आराजी को बेचान करके प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के नाम से विक्रय विलेख पंजीयन करवाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते दर्ज लगवा दी है, जबकि उक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी आराजी की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी नं0 1 व 2 का भी बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है।

उक्त माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर पारिवारिक बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं जो निम्न है :–

अ. हिस्सा वादी नं0 1 सत्यनारायण :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर आराजी उत्तरी मध्य की।

ब. हिस्सा वादी नं0 2 पवन कुमार :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर दक्षिणी मध्य की।

स. हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 पुरुषोत्तम :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर दक्षिणी तरफ की।

द. हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 रामस्वरूप :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में में से 0.48 उत्तरी तरफ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स. हिस्सा प्रतिवादी नं0 3 बिरधीलाल :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 139 के खसरा नं0 455 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 871 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 873 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 916 की 0.24 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 1.39 हैक्टर आराजी पूर्ववत खाते दर्ज रहेगी।

उक्त वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं क्योंकि उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 3 द्वारा वादीगण की अन्य पुश्तैनी आराजी को बेचान करके प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम से क्रयशुदा आराजी है, जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण का प्रतिवादी नं0 1 व 2 के साथ जन्म से ही/वक्त खरीद से बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित है, जिसे प्राप्त करने के वादीगण विधिक अधिकारी हैं। लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम नहीं होने से वादीगण को अपने बंटवारे में प्राप्त हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, जिसके लिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा टालमटोल की गई और राजस्व शिविर में भी चलने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में उक्त घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व विभाजन कृषि भूमि का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आषय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जाने कि :–

माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर आराजी प्रतिवादी नं0 3 द्वारा वादीगण की अन्य पुश्तैनी आराजी को बेचान करके प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम से क्रयशुदा आराजी है, जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण का प्रतिवादी नं0 1 व 2 के साथ जन्म से ही/वक्त खरीद से बांट बराबर का हक व हिस्सा होने से वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 व [illegible] खातेदार कृषक घोषित किया जावे, तथा उक्त घोषणा के बाद वाद पत्र [illegible] वर्णित आपसी सहमति से मौके पर हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार आराजी [illegible] विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक पृथक अंकन किया जावे, इस आशय की [illegible]षणा व विभाजन की डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

सादिर पारित फरमायी जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री लोकेश पोटर द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। इसके बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल जमाबंदी, राजस्व रिकार्ड, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद राजीनामे के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर एवं खाता सं0 नई 139 के खसरा नं0 455 की 0.06 है0, खसरा नं0 871 की 0.08 है0, खसरा नं0 873 की 1.01 है0, खसरा नं0 916 की 0.24 है0 कुल 4 किता की कुल 1.39 हैक्टर आराजी में पक्षकारान को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

अ. हिस्सा वादी नं0 1 सत्यनारायण :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर आराजी उत्तरी मध्य की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

ब. हिस्सा वादी नं0 2 पवन कुमार :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर दक्षिणी मध्य की।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स. हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 पुरूषोतम :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में से 0.47 हैक्टर दक्षिणी तरफ की।

द. हिस्सा प्रतिवादी नं0 2 रामस्वरूप :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 229 के खसरा नं0 858 की 1.90 हैक्टर में में से 0.48 उत्तरी तरफ की।

स. हिस्सा प्रतिवादी नं0 3 बिरधीलाल :– माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 139 के खसरा नं0 455 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 871 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 873 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 916 की 0.24 हैक्टर कुल 4 किता की कूल 1.39 हैक्टर आराजी पूर्ववत खाते दर्ज रहेगी।

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान का खाता विभाजित कर राज लगान का अंकन पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद